




कार्यालय आदेश

विषय:—राज—काज पोर्टल द्वारा अवकाश प्रस्तुत करने बाबत।


मण्डल और क्षेत्रीय कार्यालयों में राज—काज के Leave Management Module में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की Mapping और Leave Hierarchy का कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से मण्डल और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उपार्जित, आकस्मिक, चाईल्ड केयर, मेडिकल, पितृत्व, मातृत्व अवकाश राज—काज पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत कर संबंधित अधिकारी द्वारा पोर्टल पर ही स्वीकृत किये जाएंगे। राजकाज एप्लीकेशन में अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अवकाश आवेदन करने से पूर्व अनुक्रम एवं अवकाश बैलेन्स को स्थापना शाखा से संधारण करवाना सुनिश्चित किया जायेगा। अवकाश ऑनलाईन प्रस्तुत करने में समस्या हेतु स्थापना शाखा से संपर्क करें। किसी भी प्रकार का देय अवकाश ऑफलाइन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।


(आनंद मोहन)
सदस्य सचिव

क्रमांक:—एफ 13(जनरल-24) राप्रनिम/आई.टी.एस/5409-5413 दिनांक:— 31/3/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदया, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2. निजी सचिव, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
3. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
4. शाखा प्रभारी—Establishment/Training Project & IEC/Pre-screening/ Mines & SCMG&DS/Legal/Planning/Accounts/BMW & Plastic Waste/Laboratory/ E-Waste & Liquid Waste/HDF/TCD/SWMC/CESS/CD&DF/SEAC/MUID/HOGM/HSW/ CPP/ VTR, RTI & MSW, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
5. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।


सदस्य सचिव